प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 18.01.2026
थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिक को बहला फुसलाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले का वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभय नाथ मिश्रा* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना महुली पुलिस द्वारा* मु0अ0सं014/2026 धारा 115(2)/137(2) बीएनएस व 5के/6 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सोनु उर्फ अजय कुमार पुत्र जयराम निवासी भिटकिनी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को भगता मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 11.01.2026 को थाना महुली पर वादिनी की नाबालिक पुत्र को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 18.01.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री परवेज अहमद, का0 सुनील कुमार सिंह।

दबिश के दौरान 07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा 05 नफर वारण्टी नाम पता 01. भागवत पुत्र रामाश्रय साकिन धायपोखर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर, 2. भीम पुत्र रामउजागिर साकिन धायपोखर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 03. संजय गौतम पुत्र कपिल मुनि साकिन चोलखरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 04. गौतम पुत्र रामहित निवासी जमिरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 05. सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पुत्र राजेन्द्र निवासी भरटोलिया उर्फ शिवबखरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री नागेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री जगन्नाथ यादव, का0 सुनील कुमार सिंह, हे0का0 श्रीकान्त यादव।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता दिनेश गौतम पुत्र स्व0 मनराज निवासी कुसफर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री दशरथ, हे0का0 रामरतन तिवारी।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता सत्यवेद पुत्र गणेश चौहान निवासी बयारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जयसवाल, हे0का0 रमेश यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 79 वाहनों से 87,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 18.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 79 वाहनों से 87,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

* मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 013/2026 धारा 65(1),351(3), भा0न्या0सं0 व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 08.01.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 18.01.2026 को उक्त बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनीष कुमार जयसवाल, का0 रमेश यादव।

- *उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में बहु-बेटी सम्मेलन का किया गया भव्य आयोजन*

- *कुल 18 स्थानों पर बहू-बेटी सम्मेलन का सफल आयोजन, कुल 866 महिलाओं/बालिकाओं द्वारा किया गया प्रतिभाग*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो अभियान एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में जनपद के सभी सर्किलों के क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत 18 स्थानों पर बहु-बेटी सम्मेलन एवं महिला सशक्तिकरण चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें 866 महिलाएँ/बालिकाएं उपस्थित रही।

कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा विभिन्न गांवो में जाकर बहु-बेटी सम्मेलन आयोजित कर किया गया जागरूकता कार्यक्रम 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा बरदहिया बाजार गोला बाजार मधु कुंज तिराहा सब्जी मंडी व कसैला में 02 थाना दुधारा द्वारा तिनहरी माफ़ी, नबीपुर, बिगरा अव्वल, मुनाफनगर में 03. महिला थाना द्वारा बिड़हरघाट, धनघटा चौराहा 04. थाना धनघटा द्वारा ग्राम बिडहरघाट ,नेतवपुर, चपरापूर्वी 05 थाना महुली द्वारा ग्राम महुली कस्बा 06. थाना मेंहदावल द्वारा ग्राम गगनईबाबू, बीमापार,भरवलिया पाण्डेय में 07 थाना बखिरा ग्राम ढोढया तिराहा, हरापट्टी 08 थाना बेलहरकला द्वारा ग्राम रमवापुर मिश्र 09. थाना धर्मसिंहवा द्वारा ग्राम केंचुआ खोर, बरगदवा अंसारी में महिलाओं, बहु-बेटियों एवं बालिकाओं को एकत्रित कर चौपाल के माध्यम से मिशन शक्ति 5.0 अभियान एवं शासन की विभिन्न महिला कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, मातृ शक्ति को सम्बल योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि शामिल रहीं। महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों व कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई, जैसे वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि। चर्चा के दौरान गुड टच – बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध जैसे विषयों पर भी विस्तृत रूप से वार्ता की गई तथा उपस्थित महिलाओं को पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

इस कार्यक्रम में महिला बीट अधिकारियों एवं मिशन शक्ति टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल शैली में संवाद सत्र कर महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गयी और साथ ही महिलाओं से कहा गया कि वे निडर होकर अपनी बात रखें और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएं।

उक्त सम्मेलन का महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा वहां उपस्थित महिलाओं ने बताया कि इस आयोजन से घरेलू हिंसा और पति-पत्नी के विवाद को खुलकर आपस में साझा करने का अवसर मिला है तथा हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है। अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का अवसर मिला, हम लोग अपने प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रर्दशन करते हुए आत्मनिर्भर बनेंगे। *महिलाओं द्वारा बताया गया कि पुलिस के प्रति हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे और हम लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 60 स्थानों पर 2307 वाहनों को किया गया चेक।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 108 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहन पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1322 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 18.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।